



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह जनरल स्टम्प पेपर 21/2-11/2 का-पा द्वारा प्रकाशित  
प्राप्ति को लाइसेन्स रखा है। प्रकाशन अधीक्षण अनुच्छेद 2 के  
अन्तर्गत यहां संग्रहीत किया गया है।  
जिला... उत्तर प्रदेश  
प्राप्ति को संग्रहीत किया गया है।  
प्राप्ति को संग्रहीत किया गया है।

11AD 483609

### सत्य प्रतीक्षित

प्रधान सचिव/अधिकारी  
ग्रामीण विकास बोर्ड  
पर्यावरण विभाग  
ग्रामीण विकास बोर्ड  
पर्यावरण विभाग में।

Om  
02-2-17

## नियमावली

१. संस्था का नाम : नातनामी कन्या विद्या **प्रशासन समिति** ।
२. संस्था का पूरा पता : पीठटी० रोड, ग्राम—रुकनपुर,  
पट्टालय—अरनिया—सुदूर  
तहसील—सुर्जी  
जनपाद—बुलन्दशहर (उत्तर)
३. संस्था का कार्यक्षेत्र : लग्नूरु उत्तर प्रदेश होगा ।
४. संस्था के उद्देश्य : भूमि पत्र के अनुसार होगे ।
५. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के बचे—
- ५(क) ऐसे पुरुष एवं स्त्री जो भारत के नागरिक हों, आयु १८ वर्ष से कम न हो, नीतिक आचरण बाले हों, सरका के उद्देश्यों की आमृति के लिए उन मन धन से सहयोग करने में जल्दी हों, संस्था के नियमों—तीनोंमात्रों ने आश्वास रखे तथा संस्था के हितों को प्रोत्तंत करे तब्दी सरका सदस्य एवं पदार्थीम लग्नूरु बाला साहिय छापा ही संस्था का सदस्य बनाया जायेगा ।
- ५(ख) सदस्यों का बचे—
- ५(ख)-१ सरका सदस्य—सतनामी साध—समाज गुरु—गददी पर पदार्थीन सहमति का आहिय संस्था के आजीवन सरकाक—सदस्य रहेंगे । हमको नियमितकार प्राप्ति लगा तथा प्राचीकारण सभी समितियों व उप—समितियों में भी सदस्य रहेंगे । सतगुरु बाला साहिय को उपने स्थान पर किसी एक व्यक्ति को नियमित करने का अधिकार होगा ।
- ५(ख)-२ संस्थापक सदस्य—ऐसे पुरुष एवं स्त्री जो उपर्युक्त ५ (क) की योग्यता रखते हों, ऐसे संस्था को एकमुश्ति सदस्यता शुल्क के रूप में ₹०. ५,००,०००/- अथवा इससे अधिक देंगे, वे इस संस्था के अधिकार सदस्य होंगे ।
- ५(ख)-३ अग्रतम—सदस्य (आजीवन)—ऐसे पुरुष एवं स्त्री, जो उपर्युक्त ५ (क) की योग्यता रखते हों एवं संस्था को सदस्यता शुल्क के रूप में एकमुश्ति ₹०. १,००,०००/- अथवा इससे अधिक देंगे, वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।
- ५(ख)-४ आजीवन सदस्य—ऐसे पुरुष एवं स्त्री, जो उपर्युक्त ५(क) की योग्यता रखते हों एवं संस्था को सदस्यता शुल्क के रूप में एकमुश्ति ₹०. ५०,०००/- अथवा इससे अधिक देंगे, वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।
- ५(ख)-५ बृद्ध आजीवन सदस्य—ऐसे पुरुष एवं स्त्री, जो उपर्युक्त ५ (क) की योग्यता रखते हों, एवं संस्था को सदस्यता शुल्क के रूप में एकमुश्ति ₹०. ३०,०००/- अथवा इससे अधिक देंगे, वे इस संस्था के बृद्ध आजीवन सदस्य होंगे । शही यह है कि ऐसे बृद्ध—जनों ने ६० वर्ष की आयु पूर्ण करली हों । आयु प्रमाण देना जरूरी है ।

**सत्य प्रतिलिपि**

प्रधान अध्यक्ष / संसद  
कार्यालय विद्या परिषद्दार  
कानूनी सांसाहीक बंधा विट्स, मेरठ।

०२-२-१८

5(ए)–6 साधारण—सदस्य :— ऐसे पुरुष एवं महिला जो उपर्युक्त 5(क) की विवरता रखते हों एवं संसद्या को पांच बर्षीय साधारण—सदस्यता। शुल्क जूँ रुपये में एकमुद्रित रुपये 10,000/- अथवा इससे अधिक देंगे, तो संसद्या के साधारण—सदस्य होंगे। (पांच वर्ष तक अवधि शमाप्त होने से पूर्व आगामी बर्षी के लिए सदस्यता शुल्क जमा करने पर सदस्यता लगातार बढ़नी चाहेगे।)

5(ए)–7 मातृ संसद्या—सदस्य :— मन्दिर की मातृ संसद्या अपनी प्रबन्धकारिणी के सदस्यता में जो दो सदस्य सिर्फीचित कर इस संसद्या के लिए नामित करेंगी, तो मातृ संसद्या सदस्य होंगे।

5 (ख) 5 (ख)– 2 से 8 तक के अन्तर्गत नवीन सदस्यता निर्वाचित प्रबन्धकारिणी को पांच वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने से एक बर्ष पूर्व ही दी जावेगी। उस एक बर्ष की अवधि में सदस्यता नहीं दी जायेगी।

5 (घ) दिवता सदानन जी पूर्ति उसी वर्ष से ही की जायेगी।

6 सदस्यता समाप्ति—

प्रबन्धकारिणी समिति नियन्त्रित कारणों की अतिरिक्त किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं कर सकती।

- (i) सदस्य को शुल्क दी जाने पर।
- (ii) सदस्य वा गान्धीसंकाल सन्तुलन विभाग द्वारा पर।
- (iii) सदस्य के दिवालिया होने पर।
- (iv) संसद्या की लगातार तीन बैठकों में विना कारण बताये अनुपस्थित रहने पर।
- (v) किसी व्यायामलय से दण्डित किये जाने पर।
- (vi) साधारण सदस्य होना सदस्यता शुल्क समय पर अदा न करने पर।
- (vii) सदस्य के विकल्प प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से अधिकास पारित होने पर।
- (viii) व्यागपत्र स्वीकृत सम्मिलित।



संसद्या के अन्तर्गत  
संसद्या के दी जायेगी।

(क) साधारण समा।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति।

साधारण समा—

(क) गठन—संसद्या के अन्तर्गत सदस्यता का गठन सभी प्रकार के सदस्यों के मिलात्मक किया जायेगा। नियन्त्रित की धारा 5 (ख) 1 से 7 तक की सभी श्रेणियों के सदस्य समिलित हैं।

(ख) बैठकों—साधारण समा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा विशेष बैठक किसी भी समय सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि—साधारण समा की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व ही जावेगी। सूचना सदस्यों को किसी भी मत्त्वमें से दी जा सकती है। प्रबन्धकारिणी समिति के नियन्त्रित के लिए बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व ही जायेगी।

सदस्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रबन्धक / अन्तर्गत  
नियन्त्रित संसद्या विषयी चयोगदार  
एवं संसद्या कार्यालय विभाग, भौति।

OMS  
02-2-T2

(v) **मणिपूति**— मणिपूति के लिए साधारण समा की बहुल आदि सदस्यों की समरिष्याते का कोरम होगा। कोरम के पूरा न होने पर स्थगित बैठक तीन दिन की स्थिति के अधीन सूचना पर मुख्य जायेगी और इस बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। स्थगित बैठक में विचारणीय विषय बदलते नहीं हैं।

(vi) **साधारण समा का अधिकार एवं कर्तव्य** :

(i) प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विचाराधीन में से विषयों पर निर्णय लेना असम्भव निर्देश देना।

(ii) सरस्या को उन्नति एवं विकास की योजनाओं पर विचार कर निर्णय करना।

(iii) सरस्या का आवासीय पर्यावरण क्षेत्र पर विचार करने का पारित करना तथा विचाराधीन वर्ष के आद्य-अप्य लेखा पर विचार करना तथा उसकी लेखा परीक्षा पर विचार करना एवं पारित करना।

(iv) सरस्या के नियमों-विधानों में संशोधन, परिवर्तन 2/3 या इससे अधिक बहुमत से करना।

(v) सरस्या की वार्षिक प्रगति-आव्याय पारित करना। यह प्रगति आख्या मन्त्री/प्रबन्धक द्वारा दीयार करायी जायेगी।

(vi) सरस्या की प्रबन्धकारिणी समिति का वर्ग/अंगी की आधार पर धौंच वर्ग में निर्वाचन करना।

#### 9 प्रबन्धकारिणी समिति :-

9(क) **गठन एवं निर्वाचन**— प्रबन्धकारिणी समिति में प्रत्येक सदस्य वर्ग के प्रतिनिधित्व रहेगा और प्रत्येक वर्ग के सदस्य अपने-अपने वर्ग से निर्वाचित तथा ये प्रबन्धकारिणी के लिए सदस्य निर्वाचित करते। तदनुसार गठन इस प्रकार रहेगा। सदस्यता वर्ग 5 (छ)-1, (छ)-2, (छ)-3, (छ)-4,

(छ)-5, (छ)-6, एवं (छ)-7, क्रमशः (पदेन) 1.3.2.1.1 एवं 2 (नामित) प्रबन्धकारिणी के व्यापक सदस्य होंगे। पदेन—एक सदस्य ॥ नामित—2

सदस्यों छापात तीन सदस्यों के अतिरिक्त आठ सदस्य अपने-अपने सदस्यता वर्ग से निर्वाचित ढाकर आयेंगे। प्रबन्धकारिणी के व्यापक सदस्य अपने में से ही उप प्रदातिकारिणी—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्री/प्रबन्धक, सह-मन्त्री उप-प्रबन्धक, के वित्त प्रबंधक एवं मंत्री मदन गिरोह का निर्वाचित करेंगे। सरस्या समालेन व्यवस्था में निराकर आधार ग्राहार्थी सम्मानित विकाविद विद्यालय (वरिष्ठता वर्गीय क्रम में) तथा तृतीय अंगी कम्मीशारी कमशा 1, 2, 3 एवं 1 (कुल सात) पदेन प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य होंगे। इस प्रकार प्रबन्धकारिणी समिति में न्यूनतम बारह तथा अधिकतम प्रदातिकारिणी ५ सदस्यों की सरक्या उन्नीस होगी। निम्नलिखित तालिका में प्रबन्धकारिणी के बारह सदस्यों का वर्गानुसार संख्या प्रदत्त है:

सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्धकारिणी के बारह सदस्यों की संख्या विवर  
प्रबन्धकारिणी के बारह सदस्यों की संख्या विवर

02-2-17

सदस्य के प्रकार	नियमावली की घारा-रखणा	सदस्यता की घनता	प्रति-वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी में निर्धारित संख्या
का. नाम			
1. रासायन-सदस्य	घारा 6 (व) ।	पदन	01
2. रसायनक-सदस्य (आजीवन)	घारा 6 (व) 2	रु. 5,00,000/-	01
3. अयान-सदस्य (आजीवन)	घारा 6 (व) 3	रु. 1,00,000/-	03
4. आजीवन-सदस्य	घारा 6 (व) 4	रु. 50,000/-	02
5. बृहद आजीवन सदस्य	घारा 6 (व) 5	रु. 30,000/-	01
6. समारण सदस्य (पात्र वर्ष की अधिकी की)	घारा 6 (व) 6	रु. 10,000/-	02
7. गामी-सरका सदस्य	घारा 6 (व) 7	नामित-पदन	02
		कुल सदस्य राशि	12

9(ए) **बैठक:** प्रबन्धकारिणी नामित की नियमित बैठक वर्ष में आर हगी तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सूचना दक्षर बुलाई जा सकती है। सूचना किसी भी मात्रम से दी जा सकती है।

9(ग) **सूचना अधिक:** प्रबन्धकारिणी समिति की नियमित बैठकों की सूचना पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सात दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना पदाधिकारियों व सदस्यों को 24 घन्टे पूर्व दी जावेगी। सूचना किसी भी मात्रम से दी जावेगी।

9(घ) **गणपूर्ति:** प्रबन्धकारिणी समिति के गणपूर्ति के लिए मूल बारह सदस्य में से अन्त (यानी 2/3) की उपस्थिति का कारण होगा। स्थगित बैठक के लिए दोनों या कठूल आवश्यकता न होगी। स्थगित बैठक में विद्यारणीय विषय व दोनों होते हैं।

9(इ) **सम्मानित सदस्यों को नामित करना:** प्रबन्धकारिणी समिति एक प्रतिवार्षिक विषय दूसरा शास्त्र-विज्ञानी को अपनी प्रधान बैठक में नामित करके दोनों ही सम्मानित सदस्य सदस्य के उदादेश्यों में महत्वपूर्ण सहयोग करने में प्रतिबद्ध रहेंगे। यदि विश्वविद्यालय द्वारा नामित किये जाते हैं तो उन्हें बैठक में उन्नामोदित किया जायेगा।

**रिक्त स्थानों की पूर्ति:** प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई स्थान आकरिक रूप से रिक्त होता है तो रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से उसी दर्ते के शेष कार्यकाल के लिये कर ली जायेगी।

**कार्यकाल:** प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पार्थक्षण करने की दिनांक से पांच वर्ष होगा। किसी विशेष परिस्थिति में प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत के नियंत्रण से छ. माह के लिये कार्यकाल बढ़ाकर जा सकता है।

### सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्धकारिणी समिति  
विश्वविद्यालय के द्वितीय विषयालय  
प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा दिया गया

02-2-12

9. (ज) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य—
- (i) प्रबन्धकालिनी समिति गठन हो जाने के बावजूद संस्था के सभी अधिकार एवं शासित प्रबन्धकारिणी समिति में निहित हो जायेगी तथा प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के नियमों के अनुशासन कार्य करने को स्वतंत्र होगी।
  - (ii) संस्था की आय-व्यय के लिये योजना बनाना तथा उगले वाले संस्था की आय-पुँछ के मार्ग प्रशस्त करना।
  - (iii) संस्था का वार्षिक आय-व्यय लेखा ऑडिट करना व पारित करना तथा वित्त समिति से सहमति लम्ले वाले का बजट पारित करना। लेखा व बजट को सामाजिक-सभा के विचाराधी प्रस्तुत करना।
  - (iv) साधारण सभा द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्वों को पूरा करना। साधारण सभा के प्रति प्रबन्धकारिणी उत्तरदायी रहेगी।
  - (v) संस्था के बैंक और बैंक व अधिल सम्पत्ति की संरक्षा, सम्बर्धन और संग्रालन बहना बैंक/ डाकघर में खाते खोलने का प्रस्ताव पारित करना।
  - (vi) संस्था के हितार्थ और आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए बैंक और अधिल सम्पत्ति कानूनों के लिए प्रबन्धकारिणी समिति पूर्णरूपेण अधिकृत रहेगी।
  - (vii) संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्तन 2/3 बहुमत से पारित कर अनिवार्य स्वीकृति दे लिए साधारण-सभा का सहमति करना।
  - (viii) संस्था के अनाग्रह पद-मृजन, कर्मचारियों की नियुक्ति, नियमन दण्डन करना, नियामन (संवाद समाप्त), यतन तुष्टि आदि कार्य मन्त्री/ प्रबन्धक की सहमति पर करना।
  - (ix) संस्था के विकास इन कार्यों पर संरक्षर, संरक्षक, संग्रालन विमान साक्षात्कार आदि कार्य मन्त्री को अध्यया किसी भी संस्थान अधिकारण या आयोग से उपत्यका वन्दा अप्राप्ति या ऋण प्राप्त कर विभिन्न विकास योजनाओं के लिए बैंक युद्धा।
  - (x) अधिक/ प्रबन्धक के विफारण पर छुत्रावास व अन्य शुल्क निर्धारित करना, उत्पारेषण के लिए बैंक-एकाउन्ट नियुक्त करना, प्रबन्धकारिणी समिति के लिए दो जनरल/ सदस्य नामित करना, निवाचन अधिकारी नियुक्त करना और निवाचन कार्यक्रम घोषणा करना।
  - (xi) अन्य सभी काय करना, जो संस्था की उन्नति व विकास में सहयोगी हो।
- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य—
- अध्यक्ष :
- (i) संस्था की साधारण-सभा, प्रबन्धकारिणी समिति, अन्य बैठकों एवं सभाओं गी अध्यक्षता करना। बैठकों में अनुशासन व संयोग बनाये रखने के लिए सभी उपाय करना।
  - (ii) आवश्यकता पड़ने पर नियमों तथा उप-नियमों को व्याख्या करना, जो कि अनिवार्यक मानी जावेगा।

### वात्य प्रतिलिपि

प्राप्ति साक्षिक/ अन्यकाल  
कार्यक्रम डिप्टी सोलेन्टर  
फर्स लेन्डलैन्स एवं एस. एस.

02-2-2017

- (iii) सरस्या की बैठक में किसी विषय पर समान मत आने पर अपना एक निर्णयक मद दिना ।
- (iv) समस्या के उदाहरणों एवं नियमों—विनियमों का कार्रारिति प्रसिद्धालन हाजा रहे वामित्य निवाह करना ।
- (v) विरोध बैठक आयोजित करने के मौक—ग्राहन—पत्र पर गम्भीरता से विचार करना और निर्णय लेवर उसे क्रियान्वयन करना। मौक कभी वालों की रख्या साधारण—समा का  $1/3$  व प्रबन्धकारिणी समिति का  $1/2$  होनी चाहिए।
- (vi) प्रबन्धकारिणी समिति के नंत्री/प्रबन्धक हाजा प्रस्तुत आपातकालीन प्रस्तावों पर गम्भीरता से विचार कर उन पर विधि सम्मत सकृदार्थक विधा नकारात्मक सहमति देना ।

10 (अ) उपाध्यक्ष— सामान्य सिद्धान्त में अध्यक्ष का पूरा सहयोग करना। अध्यक्ष की अनुपरिच्छति अथवा अनुप्रलक्षणों में अध्यक्ष के सभी कार्ये करना। अध्यक्ष की अनुपरिच्छति में जब घटन—समिति की अध्यक्षता संभवे, तो उन्हें नामित माना जावेगा ।

10 (ग) मन्त्री/प्रबन्धक :

- (i) साधारण समा म प्रबन्धकारिणी समिति हाजा प्रारंत प्रस्तावों का क्रियान्वयन करना ।
- (ii) सभी प्रकार की बैठकों का लिखित अभिलेख तथार करना और अपनी सरकारा में रखना ।
- (iii) सरस्या में घन प्राप्ति और धन—व्यय के पूर्ण और सही लेखा का रोकड़ तरी ए अन्य लेखा पुस्तकों में दर्ज करना और नियमानुसार रखातों का संचालन करना। साथ ही खातों का आक्रिट करवाना ।
- (iv) सरस्या की अधिक सम्पत्ति का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना व उसके अभिलेख अपनी संखा में रखना ।
- (v) सरस्या की घल सम्पत्ति स्टोक रजिस्टर में दर्ज करवाना और सम्बन्धित कर्मचारी की संखा में रख—रखव के लिए दम्भा कर्मचारी स्टोक—दर्ज सामान के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (vi) साधारण समा प्रबन्धकारिणी समिति, वित्त समिति तथा समय—समय पर बनाई गयी उप—समितियों का संयोजन व संचालन करना ।
- (vii) प्रबन्धकारिणी समिति की सहमति होने पर नियुक्ति—पत्रों निलन्वन आदर्श, निष्पासन आदेशों इत्यादि को अपने हस्ताक्षरों से निर्गत करना। देतान—भत्ता का भुगतान, अदवाकश (आकर्मिक अवकाश छोड़कर) स्वीकृति रव—अधिकार से करना ।
- (viii) अध्यक्ष के निर्देश पर नियमावली में निर्धारित समयों पर अद्यता अन्य अवश्यकातानुसार बैठकें बुलाना, एजेंडा प्रसारित कर उनका आयोजन करना ।

### सर्व प्रतिलिपि

प्रधान अधिकारी/कानूनी

कार्यालय विष्णु शिवस्वामी

का संस्कृतीय विष्णु शिवस्वामी

२२-२-१७

- (x) सरस्था के कार्य सम्बद्धन के लिए एकल हस्ताक्षर से मंत्री/प्रबन्धक रु 50,000/- तक वा भुगतान अर्थवा व्यय करने के लिए अधिकृत है। इससे अधिक जा भुगतान वित्त प्रबन्धक वे संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। परन्तु नेतम् भुगतान के लिए वे ग्राहार्थी/निवारक का राखतुति पर पूर्ण अधिकृत होगा।
- (a) प्रबन्धकारिणी समिति की ओर से इकत्रारनामी एवं दरतावेजी, जिनके द्वारा सरस्था की सम्पत्ति का लेना और हस्तालत्तरण समान व सामग्री लेना, कार्य-पूर्णता प्रमाणित करना—एवं हस्ताक्षर करना तथा कानूनी कार्यवाही और पदा-विषय के मुकदमों में प्रतिनिधित्व करना, बादों में समझौता करना या बादों का पेशाद के लिए सम्बर्थित करना या बाद का बापत्त करना भी सम्भिलित है। सरस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही मंत्री/प्रबन्धक द्वारा का जायेगी।
- (ii) सरस्था ने प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियारित सभी दायित्वों का नियंत्रण उसना तथा वे अन्य सभी कार्य करना जो समिति के लक्ष्य व उद्देश्य जैसे प्राप्ति के लिए आवश्यक समझौतेयाँ।
- (iii) सरस्था वे समस्त विलों के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना।
- 10(घ) सहमन्त्री / उप-प्रबन्धक :-  
सामान्य स्थिति में मंत्री/प्रबन्धक वा पूर्ण सहयोग करना तथा मंत्री/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा संभेद नियंत्रण करना।

- 10(घ) वित्त प्रबन्धक  
मंत्री/प्रबन्धक के साथ वित्तालन के बैंक/ट्राक्टर खेतों का संयुक्त राखालन करना।  
सरस्था के नियमानुसार लखा-लपार विशेषक वे रखालन तक्षा त्रिसीद धुक आदि का तरक्कण वित्त प्रबन्धक के उत्तर दायित्व में रहेगा।  
भवन निर्माण मंत्री:  
विद्यार्थी भवन वा आवश्यकतानुसार नियमानुसार करना, उसका निर्माण करना, निर्माण हेतु ठेकेदार नियित करना, भवन निर्माण सामग्री क्रय करना तथा रास्पूण देख-रख करना आदि जिसकी पूर्ण-अनुमोदन व रखीकृति प्रबन्धकारिणी समिति प्राप्त करना।  
विशेष - प्रबन्धकारिणी समिति वित्ती भी पदाधिकारी या सदस्य की ओर भी सरस्था का कार्य अथवा दायित्व सौंपने को अधिकृत है उसका नियंत्रण करना अनिवार्य होगा।

सरस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

नियम-विनियमों की संशोधन, परिवर्तन या परिवर्तन के प्रस्तावी पर प्रबन्धकारिणी समिति विचार कर 2/3 बहुमत से पारित करी एवं सामाजिक सभा के लिये संस्कृति करेगी। इस संशोधन आदि को लिए

### सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्धकारिणी  
संस्कृति लिखी राजिनामा

02-2-17  
मेरठ

साधारण सभा की विशेष बैठक दुलाई जायेगी। साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित सशोधन आदि मान्य होगा।

संसद्या का कोष :

संसद्या का कोष संसद्या के नाम से किसी भी राष्ट्रीय बैंक या डाकघर में रखा जायेगा, जिसका संचालन संसद्या के पिता प्रबन्धक एवं मन्त्री/प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। ₹० ५०,०००/- तक की राशि को उस संयुक्त खाते से निकालने के लिए मन्त्री/प्रबन्धक अधिकृत रहेंगे। इससे अधिक की धनराशि संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाली जायेगी। परन्तु येतन भुगतान के लिए मन्त्री/प्रबन्धक प्राचार्य/निदेशक की संस्तुति पर, पूर्ण अधिकृत होगी।

आय-व्यय लेखा परीक्षण :

प्रबन्ध सभिति द्वारा नामित सी०१० के द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष आडिट रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी समेति एवं साधारण सभा की बैठक में विवारार्थ व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जावेगी।

संसद्या के अभिलेख :-

मूल रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, आदि जो भी आवश्यक होंगे, मन्त्री/प्रबन्धक व्यक्ति संसद्या में रखे जायें। आवश्यकतानुसार प्राचार्य को वायित्व सोपा जा सकता है।

विघटन

संसद्या का विघटन और विघटित सम्पत्ति के नियतान्त्रण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

दिनांक: ३०.८.२०११ "मलप्रातोलिपि"

संसद्या

अधिकारी

संसद्या

मंत्री

प्रबन्धक

मंत्री

प्रबन्धक

मंत्री

प्रबन्धक

**सत्य प्रतिलिपि**

प्रदान तदात्मक / अन्वेषक  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म सोसाइटी अधिकारी का द्वारा दिए गए भूलेन्द्री

02-2-17

दिनांक

दिनांक

दिनांक

दिनांक

दिनांक